


तारीख हुक्म 80/2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2023	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के रांग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट गुशी पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम गुशी पटवार हल्का गुशी भूअ.नि. उपरेड़ा तहरील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की रालग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से भेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमाबंदी में स्थित आराजी खसरा सं. 3012/736 कुल कित्ता 01 रकबा 09 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 80/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- हरिशंकर पिता सिद्धेशंकर ब्राहमण निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1-3 मोहन, मदन, गोपाल पिता नन्दा कुमावत निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।

4-10 रामेश्वर, देबीलाल, हरदेव, गोपाल लाल, छगना पिता भागु कहार निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।

11- सुरेश चन्द्र पिता कन्हैया लाल गर्ग निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।

12- मन्ना पिता धन्ना कहार निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।

13- तहसीलदार बनेड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- के.के.जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 23/06/2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित स्थित आराजी खसरा सं. 3012/736 कुल किता 01 रकबा 09 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

जाय

// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सार्वजनिक होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.नि. उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 3012/736 कुल किता 01 रकबा 09 बीघा भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयाज के मध्य सीमा-रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू-नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा-चिह्न रोपित करावें, यदि भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा-चिह्न रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय मुशी में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

काय
(निरमा बिश्नोई)
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा-भीलवाडा